न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

निगरानी याचिका सं0 17/2024

लक्ष्मीनारायण तिवाडी पुत्र छाजूराम तिवाडी जाति ब्राहम्ण निवासी किले स्कूल के पास बोराडा कुआ के पास मंडावर तहसील मण्डावर जिला दौसा

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामबाबू शर्मा पुत्र कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी किले स्कूल के पास बोराडा कुए के पास मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा
2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा
3. विकास अधिकारी स्थाई समिती पंचायत समिती महुवा जिला दौसा

...गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश प्रशासन एवं स्थाई समिती पंचायत समिती महुवा दिनांक 5.03.2024 जो श्रीमान द्धारा रिमान्ड मुकदमा अनुवानी रामबाबू बनाम लक्ष्मीनारायण पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद विजय अधिवक्ता निगरानीकार।
2. श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1

-:: निर्णय ::-

दिनांकः 25.03.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी विरूद्ध आदेश प्रशासन एवं स्थाई समिती पंचायत समिती महुवा दिनांक 5.03.2024 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। पंचायत समिति महवा से मूल अभिलेख तलब किया गया। गैर निगरानीकार सं0 2 व 3 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी रामबाबू ने प्रार्थी को ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा जारी ग्राम मण्डावर मे स्थित आबादी भूमि का पटटा संख्या 38 दिनांक 5.03.2002 के विरूद्ध एक मयाद बाहर अपील प्रशासन एवं स्थाई समिती पंचायत समिती महुवा के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त अपील को स्थाई एवं एशासन समिती पंचायत समिती महुवा ने 30.07.2013 को उक्त अपील को बाहर मानते हुए खारिज कर दी गयी थी जिसके विरूद्ध श्रीमान के यहां निगरानी प्रस्तुत करने पर श्रीमान ने दिनांक 7.09.2015 को निगरानी को स्वीकार करके प्रकरण को निर्णय मे दिये अनुसार रिमान्ड किया उक्त रिमान्ड पत्रावली प्रशासन एवं स्थाई समिती पंचायत समिती महुवा मे चल रही थी जिस पर बिना विधिवत सुनवायी किये बिना व बिना मयाद के बिन्दु को देखे बिना व बिना साक्ष्य एवं दस्तावेजात को देखे बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को देखे बिना [illegible] एवं स्थाई समिती पंचायत समिती बांदीकुई ने दिनांक 5.03.2004 को उक्त [illegible] कि एक ही स्थान का दुबारा पटटा जारी करने के लिये आवेदक द्वारा [illegible] पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 (1) मे एक बार किसी भी व्यक्ति के नाम पटटा के आवंटन के बाद तत्का[illegible] समय में पटटा अन्य किसी भी व्यक्ति को पुनः निर्धारण संभव नहीं था अतः पटटा दिनांक 5.03.2002 खारिज योग्य है। प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। निर्णय पारित हो। अतः प्रशासन एवं स्थाई समिती पंचायत समिती महुवा के निर्णय दिनांक 5.03.2024 के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष निगरानी पेश की जा रही है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:42:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेजातो को देखे बिना तथा बिना प्रार्थी को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय प्रधान विकास अधिकारी ने किया है कानूनन प्रधान व विकास अधिकारी निर्णय नही कर सकते है बल्कि निर्णय करने का अधिकार प्रशासन एवं स्थाई समिती के सदस्यों को है उक्त निर्णय पर कही भी यह लिखा हुआ नही है कि प्रशासन एवं स्थाई समिती के सदस्य कौन कौन है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को नही सुना बल्कि उपस्थित सदस्यो को सुना है जो फैसले को पढने से ही जाहिर होता है जबकि कानूनन उपस्थित सदस्यों को सुना नहीं जाता है बल्कि उपस्थित सदस्य तो निर्णय करते है सुनवायी तो पक्षकारों की की जाती है किन्तु पक्षकारो की सुनवाई किये बिना उक्त निर्णय किया गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय से यह लिखा है कि पंचायत राज अधिनियम के नियम 157(1) मे एक बार किसी व्यक्ति को पटटा के बाद तत्कालीन समय मे पटटा अन्य किसी भी व्यक्ति को पुनः निर्धारण संभव नही था। प्रथम तो धारा 157 (1) मे पटटा जारी होता ही नही है और प्रथम पटटे के रहते हुए दूसरा पटटा जारी नहीं किया गया है बल्कि प्रथम पटटे को सरेन्डर कराकर और दूसरा पटटा जारी किया गया है जो नियमानुसार की गयी कार्यवाही है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत ने विधिवत प्रकिया अपनाकर और प्रार्थी के हक मे. पटटा संख्या 88 दिनांक 5.03.2002 को जारी किया है ग्राम पंचायत मण्डावर ने मौका रिपोर्ट ली है तथा सम्पूर्ण प्रकिया अपनाकर पटटा जारी किया है उक्त पटटेसुदा भूमि मे प्रार्थी का पुख्ता मकान चबूतरा आदि बने हुए है जो 50 वर्ष से अधिक समय से बने हुए है उक्त पटटे के संबध मे सिविल न्यायालय मे भी रामबाबू द्वारा प्रस्तुत अन्य वाद मे जॉच हो चुकी है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि का पटटा धापा देवी के नाम जारी किया गया था धापा देवी की मृत्यु हो गयी है और धापा देवी के एक पुत्री है जो पुत्री प्रार्थी की पत्नि है धापा देवी की पुत्री ने प्रार्थी के हक मे उक्त पूर्व के पटटे को सरेण्डर करके लिखावट लिखकर देने पर ग्राम पंचायत ने प्रकिया अनुसार पूर्व को पटटे को सरेन्डर कर और प्रार्थी के हक मे पटटा जारी किया है जिसमे ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार सम्पूर्ण जॉच करके और कानूनी कार्यवाही कर पटटा जारी किया है किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पटटे को निरस्त करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थाई समिती पंचायत समिती महुवा दिनांक 5.03.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार लक्ष्मीनारायण तिवाडी ने अपनी सास श्रीमती धापा बेवा बुध राम पन्डा के नाम पुराना पढ़टा मिसल संख्या 146 तारीख दायरा 15.07.77 पढटा नं. 13 पूर्व – पश्चिम 42 फुट उतर – दक्षिण 33 फुट जारी दिनांक 25.03.80 हाने पर भी उसी स्थल का दोबारा पट्टा आवेदन दिनांक– 07. 11.2001 में जमीन की नाप पूर्व–पश्चिम 62 फीट उतर – दक्षिण 33 फीट बताते हुए प्रस्तुत कर दिया गया। श्रीमती धापा बेवा बुधराम पन्डा के नाम पुराना पढ़टा होने की जानकारी के बाबजूद भी सरपंच एवं सचिव ग्रा० पं० मण्डावर द्वारा उसी स्थल का लक्ष्मीनारायण तिवाडी के नाम दोबारा जारी कर दिया जो कि खारिज किये जाने योग्य है। आज्ञाओ कि सूची के अन्तर्गत दिनांक 07.11.2001 में लिखे अनुसार एक माह का आपति नोटिस मौके पर दो [illegible] के समक्ष चस्पा नहीं किया गया। आपति नोटिस पर क्षेत्र के दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी [illegible] है अतः आपति नोटिस के आधार पर जारी पटटा नियमानुसार खारिज किये जा[illegible] संबधित वार्ड पंच वार्ड नं0 5 श्री निरंजन प्रसाद को शामिल नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 25.02.2002 पर उनके हस्ताक्षर भी नही है जो कि अनियमिता कि श्रेणी में आता है। आपति नोटिस दिनांक 10.11.2001 व मौका रिपोर्ट दिनांक 25.02.2002 को आधार बनाकर दिनांक 05.03.2002 को लिखा गया फैसला पूर्णतया कूठ रचित एवं मिथ्या अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण तिवाडी को लाभ पहुँचाने के ध्येय से किया गया नियम विरुद्ध फैसला है। फैसला में लिखा गया है प्रार्थी के समक्ष पत्रावली में शामिल नक्शें मुताबित भूमि कि नाप कराई गई जो पूर्व – पश्चिम 61 उतर–दक्षिण 33 फुट है। आगे पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:42:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में लिखा है। उक्त भुमि का पटा पूर्व में भी श्रीमती धापा देवी बेवा पन्डा मिसल सख्या 146 दिनांक दायर 15.07.77 व दिनांक फैसाला 23.10.78 को जारी किया गया था। जोमूल पटटा पत्रावली में शामिल है। सरासर गलत है, श्रीमती धापा बेवा बुधा – राम पन्डा के पटटे के अन्तर्गत भूमि कि माप पूर्व–पश्चिम 42 फुट उतर–दक्षिण 33 फुट दर्ज है। इस प्रकार लक्ष्मीनारायण को नियमों कि अनदेखी करते हुए अनुचित लाभ पहुँचाने के ध्येय से पश्चिम कि तरफ आम रास्ता कि भूमि को सम्मिलित करते हुए 19 फुट भूमि बढा – कर पढ़टा जारी कर दिया जो कि खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने अपने फैसले में लिखा है उक्त चाही भूमि पर प्रार्थी का पुख्ता मकान बना हुआ है। जिसमे प्रार्थी का रहवास है सरासर गलत है ग्रा० पं० द्वारा लक्ष्मीनारायण तिवाडी का जारी पटा के पृष्ट भाग पर बिन्दु 2 नक्शा जमीन के अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम 51 फुट में पुख्ता मकान दर्शाया है। अतः जारी पटटा खारिज करने योग्य है। ग्राम पंचायत ने अपने फैसले में लिखा है प्रार्थी से एक पाँच रुपया का स्टाम्प पेपर भी पत्रावली भी पत्रावली में शामिल कराया है। ग्रा० पं० ने जिस स्टाम्प पेपर को पत्रावली में शामिल कराया है वह फैसला लिखाने के ग्यारह दिन बाद खरीदा गया है। फ़ैसला दिनांक 05.03.02 को लिखा गया है जबकि स्टाम्प दिनांक 16.03.2002 को खरीद गया है जिससे स्पष्ट होता है कि लिखा गया फैसला कूटरचित एवं मिथ्या है अतः निगरानी कार को जारी पटटा खारिज किये जाने योग्य हैं। ग्रा0पं0 ने फैसला में लिखा है मकान के पीछे खास बाडे का पूर्व – पश्चिम 5 फुट व उतर – दक्षिण 22 फुट का जिक्र करते हुए लाभ पहुँचाया जबकि निगरानीकार लक्ष्मीनारायण तिवाडी द्वारा अपने आवेदन प्रार्थना–पत्र में मकान के पीछे खास बाडे के होने का हवाला नही दिया है अतः ग्राम पंचायत द्वारा कूटरचित व मिथ्या फैसला के आधार पर जारी किया गया पटा खारिज करने योग्य है। बतौर सबूत फैसला दिनांक 05.03.02 कि फोटो प्रति – पत्रावली में शामिल पाँच रुपये के स्टाम्प कि प्रतिलिपि प्रस्तुत है। निगरानी कार लक्ष्मीनारायण तिवाडी को ग्रा० पं० द्वारा जारी पटे पर पेटा नं0 का अंकन नहीं है। तथा पटटा के पृष्ट भाग पर नक्शा नवीस व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है । अतः पटा खारिज किये जाने योग्य है। ग्रा० पं० मण्डावर द्वारा एक ही स्थान के दो पट्टे जारी किये प्रथम पट्टा वर्ष 1980 को पट्टा नं. 13 धापा देवी के नाम 42 गुणा 33 फुट जारी कर दिया उसी स्थान का दूसरा पटटा 20 फुट जमीन बढाकर 61गुणा 30 लक्ष्मी नारायण तिवाडी के नाम वर्ष 2002 में जारी कर दिया गया, जो कानूनी प्रावधानो एवं नियमो के विरुद्ध है। वर्ष 2013 मे रामबाबू एवं उमेश कुमार द्वारा उक्त दो पटटो के विरुद निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कि गयी जो 1. रामबाबू बनाम लक्ष्मीनारायण 2. उमेश कुमार बनाम विजय कुमार के नाम से थी, जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रामबाबू जी लक्ष्मीनारायण का प्रकरण खारिज कर दिया व उमेश बनाम विजय कुमार का प्रकरण निर्णय हेतु नगरपालिका मण्डावर को भेज दिया गया। निगरानी कार द्वारा अब उसी प्रकरण कि निगरानी प्रस्तुत की गयी है। जो खारिज होने योग्य है। निगरानी कार द्वारा न्यायालय श्रीमान के निर्णय दिनांक 07. 09.15 के विरुद्व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल रिट पिटिसन सं. 11674/17 प्रस्तुत की जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी। निगरानी कार द्वारा पेश निगरानी मे यह उल्लेख किया कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया यह सरासर गलत है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी कार को समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया। निगरानी कार द्वारा अपनी निगरानी के पैरा नं. 07 [illegible] कथन किये है वें सरासर गलत हैं । धापा देवी के नाम जारी प्रथम पट्टा के ट्रांसफर बाबत [illegible] की कोई भी प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा नही अपनाई। निगरानी द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र में धापा देवी के पटटा को सरेण्डर बाबत काई उल्लेख नहीं है नही ग्राम पंचायत कि मोका रिपोर्ट में हवाला दिया गया है। तत्कालीन वार्ड पंच के कोइ हस्ताक्षर नही है। पूर्व मे जारी प्रथम पटटा 42X33 फुट का जारी किया। आखिर 20 फुट जमीन कि वृद्धि किस आधार पर कि गयी थी। मोका रिर्पोट में उल्लेख नही है। अतः निगरानी कार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:42:47 IST
Reason: SelfAttested

5. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, निगरानीकर्ता लक्ष्मीनारायण तिवारी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका एवं गैर–निगरानीकार (रामबाबू शर्मा) की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय (प्रशासन एवं स्थाई समिति, पंचायत समिति महुवा) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.03.2024 का मेरे द्वारा भली–भांति अवलोकन व परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली एवं तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि (ग्राम मण्डावर) पर पूर्व में श्रीमती धापा देवी के नाम से वर्ष 1980 में (42 गुणा 33 फुट का) पट्टा जारी किया गया था। उसी स्थान पर निगरानीकर्ता लक्ष्मीनारायण के नाम से ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा दिनांक 05.03.2002 को बिना पूर्व पट्टे का नियमानुसार विधिवत समर्पण किए तथा भूमि का आकार बढ़ाकर (लगभग 61 गुणा 33 फुट) नया पट्टा जारी कर दिया गया, जो कि प्रथम दृष्ट्या पंचायती राज नियमों के विपरीत है।

7. अतः अधीनस्थ न्यायालय (पंचायत समिति महुवा) द्वारा दिनांक 05.03.2024 को ग्राम पंचायत मण्डावर के उक्त पट्टे (दिनांक 05.03.2002) को निरस्त करने का जो निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतः साक्ष्यों, तथ्यों और विधिक प्रावधानों पर आधारित है।

8. उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है।
अतः मैं, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ:
'' निगरानीकर्ता लक्ष्मीनारायण तिवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत यह निगरानी याचिका बलहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण निरस्त (खारिज) की जाती है।''अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनायागया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:42:47 IST
Reason: SelfAttested